



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012023-243199
CG-DL-E-25012023-243199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]
No. 368]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2023/माघ 4, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2023/MAGHA 4, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2023

का.आ. 382(अ).— केन्द्रिय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4983(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 20 अक्टूबर, 2022 में प्रकाशित की गई थी, में निम्न लिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:

आधिकारिक राजपत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) से संबंधित उक्त अधिसूचनाओं की प्रस्तावना में प्रविष्टि "काला और विशेष डिप्टी" के स्थान पर "संयुक्त कलेक्टर, बापटला" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों के कार्यों को करने के लिए।

आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के लिए कैला नामकरण में परिवर्तन।

[फा. सं. Nellore PIU 3(a)/3A Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 24th January, 2023

S.O. 382(E).—In exercise of the powers of conferred by sub-section(1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S. O. 4983(E) dated 20th October, 2022 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II-Section 3 - Sub-section (ii) dated 20th October, 2022 namely.

In the Preamble to the said Notifications relating to Competent Authority for Land Acquisition (CALA) the entry “Joint Collector, Bapatla” shall be substituted in place of “Cala & Special Deputy Collector(LA), Bapatla” to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Change of CALA Nomenclature for NH-16 in Bapatla District of Andhra Pradesh.

The above amendment is consequent to the typo-error occurred during sending of the 3A proposal.

[F. No. Nellore PIU 3(a)/3A Corr.]

RAJESH GUPTA, Director